

क्या न्यायिक फैसलों पर सवाल उठाने के बाद कर्मचारियों को लाभ देने से बच पाएगी सरकार?

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) के दीक्षांत समारोह में न्यायालय के फैसलों और सरकारी खजाने पर उनके वित्तीय प्रभाव का मुद्दा उठाकर कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभों पर नई बहस छेड़ दी है। न्यायिक फैसलों का हवाला देकर राजकोष पर बढ़ते बोझ की चिंता जताने वाली सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चार महीने के भीतर कर्मचारियों को उनके देय लाभ कैसे देगी? सरकार अदालत में समयसीमा के भीतर कारवाई का भरोसा दे चुकी है। ऐसे में अब वित्तीय कठिनाइयों का उल्लेख करने से ज्यादा जरूरी यह साबित करना है कि सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए कितनी तैयार है।

मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह में कहा कि भर्ती नियमों में स्पष्ट प्रावधान न होने के बावजूद कर्मचारियों को वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और दूसरे वित्तीय लाभ देने के न्यायिक आदेशों से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार की चिंता यह है कि ऐसे फैसलों का असर प्रदेश की पहले से दबाव में चल रही वित्तीय व्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन इस दलील के साथ एक दूसरा सवाल भी जुड़ा है। जब किसी कर्मचारी को कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय से राहत मिलती है, तो उस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकार की वित्तीय मुश्किलें अपनी जगह हैं, लेकिन न्यायालय के आदेशों के पालन की सवैधानिक जिम्मेदारी से सरकार बच नहीं सकती।

मामले की पृष्ठभूमि में

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का 25 अप्रैल 2026 का फैसला है। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 29 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी। सरकार को फैसले के अनुरूप कारवाई के लिए चार महीने की समयसीमा दी गई। इस घटनाक्रम ने कर्मचारियों के लाभों के मामले को केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन का प्रश्न बना दिया है।

प्रतिभा सिंह के चुनाव आयोग को लिखे पत्र से उठी राजनीतिक बहस

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान आर्थिक स्थिति, संगठन और सरकार के बीच तालमेल तथा चुनावी गारंटियों को लेकर लगातार राजनीतिक बहस होती रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के नाम पर 'वीर कांग्रेस' और 'वीरभद्र राष्ट्रीय कांग्रेस' जैसे संभावित नामों की चर्चा ने एक नया सवाल खड़ा किया है। क्या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है या प्रदेश में किसी नए राजनीतिक मंच की संभावना पर विचार हो रहा है? फिलहाल किसी नए दल के गठन की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस चर्चा को

अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह चार महीने के भीतर पात्र कर्मचारियों की पहचान, सेवा रिकॉर्ड की जांच, लाभों की गणना और भुगतान की व्यवस्था किस तरह पूरी करेगी। कितने कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ मिलेगा, कितनों की वेतन वृद्धि दोबारा तय होगी और कितने मामलों में बकाया राशि देनी पड़ेगी, इसका स्पष्ट आकलन सामने आना चाहिए। यदि सरकार ने अब तक विभागवार सूची, वित्तीय जरूरत और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार नहीं की है, तो समयसीमा पूरी करना आसान नहीं होगा। कर्मचारियों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि यह जानने

का अधिकार है कि उनके मामलों में फैसला कब होगा और लाभ कब मिलेगा।

मुख्यमंत्री की दलील से सरकार की वित्तीय चिंता सामने आती है, लेकिन इससे यह सवाल खत्म नहीं होता कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों के लिए वर्षों तक अदालतों के चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं। यदि भर्ती और सेवा नियमों में कमियां थीं, तो उन्हें समय रहते दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। यदि सरकार के फैसलों के कारण विवाद अदालत तक पहुंचे और अंत में सरकार को कानूनी झटका लगा, तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। केवल यह कहना कि न्यायिक

आदेशों से खजाने पर बोझ पड़ता है, उन प्रशासनिक गलतियों का जवाब नहीं है जिनसे ऐसे विवाद पैदा होते हैं।

सरकार के लिए चुनौती यह है कि वित्तीय लाभों के भुगतान में देरी का बोझ कर्मचारियों पर न पड़े। जिन कर्मचारियों के मामले में न्यायालय ने राहत दी है, उनको नियमों के अनुसार निपटाना होगा। यह भी स्पष्ट करना होगा कि चार महीने की समयसीमा के भीतर कारवाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही यह भी बताना होगा कि कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सरकार की नीति क्या है और अदालत में कानूनी शेष पृष्ठ 8 पर.....

स्थापित घटनाक्रम के बजाये संभावित राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखना जरूरी है।

मुख्यमंत्री सुखविन्द सिंह सुक्खू ने सत्ता संभालने के शुरुआती दौर में प्रदेश की आर्थिक स्थिति की गंभीरता का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी थी कि हालात नहीं सुधरे तो हिमाचल की स्थिति श्रीलंका जैसी हो सकती है। लेकिन इसके बाद मंत्रिमंडल गठन से पहले छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई। इन नियुक्तियों को लेकर विपक्ष और आलोचकों ने सवाल उठाए कि आर्थिक संकट की चर्चा के बीच ऐसे पदों की जरूरत और औचित्य क्या है।

सरकार और संगठन के बीच तालमेल का मुद्दा भी कांग्रेस के इस कार्यकाल में पहले दिन से ही चर्चा में रहा। प्रतिभा सिंह के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए संगठन की भूमिका, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं और सरकार के साथ समन्वय को लेकर सवाल उठते रहे। इन सवालों के परिप्रेक्ष्य ही हाईकमान को एक समन्वय समीति का गठन करना पड़ा था लेकिन इस कमेटी के बनने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी राजनीतिक असंतोष की चर्चाएं जारी रहीं। बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाने से सरकार और संगठन के बीच तालमेल

बेहतर होने की उम्मीद की गई। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने शिकायतों को जानबूझकर नजरअंदाज किया है।

आज चुनावी गारंटियां भी सरकार और विपक्ष के बीच बहस का विषय बनी हुई हैं। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कई वायदे किए थे। सरकार ने कुछ योजनाएं लागू कीं, जबकि विपक्ष चुनावी गारंटियों पर समय-समय पर सवाल उठाता रहा है। सभी गारंटियों की स्थिति का निष्पक्ष आकलन उनके क्रियान्वयन, लाभार्थियों की संख्या और निर्धारित समयसीमा के आधार शेष पृष्ठ 8 पर.....

राष्ट्रपति ने एम्स बिलासपुर के पहले बैच को प्रदान की डिग्रियां

शिमला/शैल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में संस्थान के प्रथम स्नातक

प्रदान किए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विद्यार्थियों, उनके माता-पिता,



बैच के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीं। इस अवसर पर राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

समारोह में कुल 92 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गईं। इनमें 43 एमबीबीएस, 26 बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, 9 बीएससी एलाइड हेल्थकेयर और 14 एमडी/एमएस के विद्यार्थी शामिल थे। राष्ट्रपति ने विभिन्न विषयों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी

अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहला दीक्षांत समारोह एम्स बिलासपुर की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शोध के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका बढ़ा रहा है।

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह पर संस्थान और विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एम्स की स्थापना से हिमाचल प्रदेश के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। इसका

लाभ पड़ोसी राज्यों के साथ-साथ दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है।

राज्यपाल ने हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर की स्थापना से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उनके नजदीक मिल रही है।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि डिग्री हासिल करने के साथ समाज और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उन्होंने युवा डॉक्टरों और स्वास्थ्य क्षेत्र के विद्यार्थियों से अपने काम में मानवता, संवेदनशीलता और सेवा भावना को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू ने भी विद्यार्थियों और एम्स बिलासपुर को शुभकामनाएं दीं। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश में पिछले 12 वर्षों में 16 नए एम्स स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से एम्स बिलासपुर की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने और अपने पेशेवर जीवन में सेवा व उत्कृष्टता के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया।

विज्ञान और तकनीक से ही विकसित भारत का सपना होगा साकार: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा, विज्ञान, शोध

विषय 'विज्ञानमय भारत-विकसित भारत' रखा गया है।

राज्यपाल ने कहा कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स,



और नई तकनीकों को समाज की जरूरतों से जोड़ना जरूरी है। विज्ञान और तकनीक का लाभ आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

राज्यपाल ने यह बात राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर में आयोजित शिक्षा महाकुंभ अभियान के छठे संस्करण को संबोधित करते हुए कही। इस बार अभियान का

जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और डिजिटल तकनीक तेजी से दुनिया को बदल रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को केवल तकनीक का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नई तकनीक विकसित करने और नए विचारों पर काम करने के लिए भी आगे आना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि वैज्ञानिक शोध का फायदा किसानों, मरीजों और

दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए। विज्ञान और तकनीक की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही पानी और ऊर्जा बचाने, आपदाओं से निपटने और पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान खोजने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित करने पर जोर दिया, जो कम खर्च में उपयोगी साबित हो और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने कहा कि नए विचारों को उपयोगी काम में बदलने के लिए शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शोध प्रयोगशालाओं, उद्योगों और स्टार्टअप को मिलकर काम करना होगा। तकनीक का विकास नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने शिक्षकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। विज्ञान और विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा करना भी जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि शिक्षा महाकुंभ अभियान ज्ञान को नए प्रयोगों से जोड़ने और देश की समस्याओं के समाधान खोजने में मददगार साबित होगा।

राष्ट्र निर्माण और देश के विकास में योगदान दें युवा: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने और देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं में कौशल, नैतिक मूल्य, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की

विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह पढ़ाई पूरी होने का ही नहीं, बल्कि जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने बाहरा विश्वविद्यालय की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि सितंबर 2010 में स्थापित इस विश्वविद्यालय में 10 स्कूल, 16 विभाग और 60 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रम हैं। यहां लगभग 4,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने युवाओं को रोजगार तलाशने के साथ-साथ रोजगार देने वाले बनने



भावना भी होनी चाहिए।

राज्यपाल ने सोलन जिले में बाहरा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने 577 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीं। उन्होंने

के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवा नए विचारों, तकनीक और उद्यमिता को अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल टनल का किया दौरा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनी 9.02

भौगोलिक परिस्थितियों में बड़े निर्माण कार्य करने की भारत की क्षमता को दिखाती है।

टनल के उत्तरी पोर्टल पर स्थानीय



किलोमीटर लंबी अटल टनल का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता और लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहें।

राष्ट्रपति ने अटल टनल की इंजीनियरिंग और निर्माण से जुड़ी तकनीकी जानकारी में रुचि दिखाई। उन्होंने अधिकारियों से टनल के निर्माण और तकनीकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रपति ने टनल के आसपास के हिमालयी क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया।

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने अटल टनल को विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस टनल ने लाहौल-स्पीति को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह टनल कठिन

लोगों ने राष्ट्रपति का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। सांसद कंगना रनौत, लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा और जिला प्रशासन व सेना के अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया।

इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल ने मनाली के ढुंगरी स्थित प्रसिद्ध हिडिंबा मंदिर में पूजा-अर्चना की और देशवासियों की सुख-शांति व समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

राज्यपाल ने मनाली के वन विश्राम गृह में गिंको बिलोबा का पौधा भी लगाया। उन्होंने हिमालयी पर्यावरण और प्राकृतिक विरासत को बचाने के साथ सतत विकास पर जोर दिया।

बीआरओ के महानिदेशक ने राज्यपाल से की भेंट

शिमला/शैल। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के महानिदेशक



लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने लोक भवन, शिमला में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से भेंट की।

इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश में बीआरओ द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं पहलों की जानकारी दी। उन्होंने चुनौतीपूर्ण भौगोलिक और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के बावजूद

सड़क संपर्क बनाए रखने के लिए संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत करवाया।

राज्यपाल ने प्रदेश के दूरदराज और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ बनाने में बीआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए मजबूत, टिकाऊ और लचीली बुनियादी अधोसंरचना के महत्व पर बल दिया।

राज्यपाल ने प्रदेश में सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि बुनियादी अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आपदाओं से निपटने की तैयारियों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे से प्रदेशवासियों से संबंध और मजबूत हुए: राज्यपाल

शिमला/शैल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तीन दिवसीय हिमाचल दौरा राष्ट्रपति और प्रदेश की जनता के बीच संबंधों को और मजबूत करने वाला रहा। यह बात राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने राष्ट्रपति को उनके हिमाचल दौरे के समापन पर मनाली के डीआरडीई हेलीपैड पर विदाई देने के बाद कही।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति का हिमाचल आना प्रदेशवासियों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। लोगों के साथ उनका आत्मीय व्यवहार और संवाद इस दौरे की खास बात रही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा की यादें लंबे समय तक लोगों के मन में रहेंगी। राष्ट्रपति ने दौरे के दौरान बिलासपुर स्थित एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने अटल टनल, मनाली के हिडिंबा माता मंदिर, मॉल रोड और लाहौल-स्पीति के सिस्सू का दौरा किया। राज्यपाल ने कहा कि एम्स

बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने मानवता की सेवा और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। उनका यह संदेश हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। इससे युवा डॉक्टरों को प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि अटल टनल का दौरा हिमाचल में बेहतर कनेक्टिविटी और राज्य के सामरिक महत्व को दर्शाता है। वहीं, हिडिंबा माता मंदिर की यात्रा प्रदेश की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से राष्ट्रपति के जुड़ाव को दिखाती है।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति का यह दौरा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद और हिमाचल की जनता के बीच मजबूत और आत्मीय संबंधों का प्रतीक रहा। उन्होंने राष्ट्रपति का हिमाचल में बहुमूल्य समय बिताने के लिए आभार भी व्यक्त किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक: जे.पी. भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं : मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि हिमाचल के लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के भीतर ही मिलें। साथ ही, विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक भी पहुंचे।

मुख्यमंत्री एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल में स्वागत करते हुए उन्होंने प्रदेश को देवभूमि के साथ वीरभूमि भी बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की मंदिर परंपराएं, लोक संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत प्रदेश को अलग पहचान देती हैं।

सुक्खू ने बिलासपुर के लोगों के विस्थापन और त्याग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध देश के विकास का बड़ा प्रतीक है, लेकिन इसके निर्माण के लिए बिलासपुर के लोगों ने अपनी जमीन और घर छोड़ने का दर्द भी सहा। उनका यह योगदान विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले

एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री, दूरदराज क्षेत्रों तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का दावा साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई आधुनिक सुविधाएं शुरू की हैं। प्रदेश में 3-टेस्ला एमआरआई, पैट स्कैन, आधुनिक



एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी भी शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि इससे ऐसे इलाज सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होंगे, जो पहले अधिकतर महंगे निजी अस्पतालों तक सीमित थे।

उन्होंने बताया कि हिमाचल में पहले 277 पीजी मेडिकल सीटें थीं और सरकार 320 अतिरिक्त पीजी सीटें

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ कोर्स शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला ऐसा कॉलेज भी शुरू किया गया है। इसके अलावा एम्स की तर्ज पर आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र तक पहुंचाना है।

एचआरटीसी को मिलेंगी 1,500 नई ई-बसें: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को आने वाले



समय में 1,500 नई ई-बसें उपलब्ध करवाएंगी। उन्होंने कहा कि इन बसों की न्यूनतम रेंज 350 किलोमीटर होनी चाहिए और इन्हें हिमाचल के पहाड़ी व कठिन क्षेत्रों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एचआरटीसी को अब तक 297 ई-बसें

दी जा चुकी हैं। निगम को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई-बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। सरकार 100 ग्रीन हाइड्रोजन बसें और 100 सुपर डीलक्स

बसें खरीदने पर भी विचार कर रही है। सुक्खू ने प्रदेश में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने एचआरटीसी के अधिकारियों को 30 ई-वाहन देने की बात भी कही। साथ ही ऊना जिले और नालागढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय को पूरी तरह इलेक्ट्रिक

बसें खरीदने पर भी विचार कर रही है। सुक्खू ने प्रदेश में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने एचआरटीसी के अधिकारियों को 30 ई-वाहन देने की बात भी कही। साथ ही ऊना जिले और नालागढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय को पूरी तरह इलेक्ट्रिक

शिवा परियोजना का काम 28 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपी शिवा परियोजना के प्रथम चरण के तहत 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सभी कार्य 28

10,646 किसान परिवारों को मिलेगा लाभ, देरी पर कारवाई की चेतावनी में से लगभग 2,700 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा चुका है, जबकि



फरवरी, 2027 तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा तक काम पूरा नहीं होने पर संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

परियोजना की समीक्षा बैठक में बताया गया कि निर्धारित 3,000 हेक्टेयर

1,900 हेक्टेयर में पौधारोपण पूरा हो गया है। शेष क्षेत्र में जनवरी-फरवरी, 2027 तक पौधारोपण किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से प्लम और पर्सिमन जैसी फसलें लगाई जाएंगी।

एशियाई विकास बैंक से वित्तपोषित यह परियोजना बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी,

कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और ऊना जिलों में लागू की जा रही है। इसके प्रथम चरण में 331 क्लस्टर तैयार किए गए हैं, जिनसे लगभग 10,646 किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को घटिया पौधों की खरीद से बचने और तकनीकी मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सौर बाड़बंदी, खेतों की तैयारी तथा ड्रिप और लिफ्ट सिंचाई कार्यों की भी समीक्षा की गई।

परियोजना के दूसरे चरण के लिए लगभग 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। करीब 1,500 हेक्टेयर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी स्वीकृति के लिए एशियाई विकास बैंक को भेजी गई है। मंत्री ने निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने और सभी कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए।

नड्डा के हमले के बीच कांग्रेस का पलटवार केंद्र से मांगा 112 करोड़ रुपये का हिसाब

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव अब सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्मल) धनी राम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नड्डा के बयानों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है कि जब हिमाचल को स्वास्थ्य योजनाओं में उसके हिस्से की राशि समय पर नहीं मिल रही, तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले केंद्र अपनी जवाबदेही क्यों नहीं तय करता?

दोनों मंत्रियों ने दावा किया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वर्ष 2021 से 2026 के दौरान केंद्र के हिस्से के 112 करोड़ रुपये हिमाचल को जारी नहीं किए गए। उनके अनुसार, वर्ष 2023 से अब तक करीब 2.85 लाख लोगों के उपचार पर लगभग 420 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। योजना में प्रदेश का निर्धारित हिस्सा करीब 59 करोड़ रुपये बनता था, जबकि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से लगभग 203 करोड़ रुपये खर्च किए। सरकार का दावा है कि उसने तय हिस्से से कई गुना अधिक धन लगाकर मरीजों के इलाज

को प्राथमिकता दी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र से पर्याप्त धनराशि नहीं मिलने के कारण नौ क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 12 जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, 38 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 73 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का काम प्रभावित हुआ है। कुल 132 स्वास्थ्य इकाइयों का सवाल अब केवल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि उन मरीजों की सुविधा से जुड़ा है जिन्हें इन केंद्रों से बेहतर इलाज मिलना था।

मंत्रियों ने कहा कि दिसंबर 2022 में कांग्रेस सरकार ने करीब 75 हजार करोड़ रुपये के कर्ज और कर्मचारियों की लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियों के बीच सत्ता संभाली थी।

अब सवाल केवल केंद्र और राज्य के बीच पैसों के विवाद का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं की जवाबदेही का भी है। यदि केंद्र का हिस्सा लंबित है, तो उसे जारी करने की समयसीमा स्पष्ट होनी चाहिए। वहीं, राज्य सरकार को भी बताना होगा कि प्रभावित परियोजनाएं कब पूरी होंगी। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच आम जनता को यह जानने का हक है कि इलाज की सुविधाएं जमीन पर कब उपलब्ध होंगी।

पीएमजीएसवाई-4 के तहत 3,000 करोड़ की 340 सड़कों को जल्द मंजूरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-4 (पीएमजीएसवाई-4) के दूसरे चरण के तहत करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 340 सड़कों के निर्माण को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इन सड़कों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर है और स्वीकृति से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार है।

मंत्री के अनुसार, योजना के तहत पहले ही 2,300 करोड़ रुपये की लागत से 1,500 किलोमीटर लंबी 290 सड़कों को मंजूरी मिल चुकी है। इन पर काम अलग-अलग चरणों में चल रहा है। उन्होंने कहा कि दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 128 करोड़ रुपये की पुल निर्माण परियोजनाओं को भी जल्द स्वीकृति

दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़कों, अमरुत मिशन, स्वच्छता और पेयजल सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र से लगभग 10,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 800 करोड़ रुपये के वार्षिक सड़क रखरखाव कार्य भी किए जा रहे हैं। हालांकि, तारकोल की आपूर्ति में वैश्विक परिस्थितियों के कारण आई कमी से सड़क पक्की करने के कार्य प्रभावित होने की आशंका है। मंत्री ने कहा कि वह इस समस्या को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के समक्ष उठाएंगे और हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर विशेष सहायता मांगेंगे।

उन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों से भूमि संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने में सहयोग देने की अपील भी की।

हिमाचल के एशियाई खेल पदक विजेताओं को मिलेंगे 9.03 करोड़ रुपये

अक्टूबर में होगा सम्मान समारोह, कबड्डी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये

रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए अक्टूबर में समारोह आयोजित करेगी। इस दौरान खिलाड़ियों को कुल 9.03 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी टीम की हिमाचली खिलाड़ी रितु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को एक-एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को 2.50 करोड़ रुपये और 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपये मिलेंगे। क्रिकेट की स्वर्ण पदक विजेता टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को भी एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जूडो में भाग लेने वाले ताखेलाम्बम इनुनागांभी को तीन लाख

रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खिलाड़ियों के पुरस्कार नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत पदक जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल हिमाचल के पात्र खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार राशि समान रूप से बांटी जा सकेगी। जरूरत के अनुसार राशि का बंटवारा अनुपात के आधार पर भी किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रत्येक खिलाड़ी को व्यक्तिगत पदक विजेता के लिए तय पुरस्कार राशि का कम से कम 25 प्रतिशत देना जरूरी होगा।

मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी के पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और खेलों को बढ़ावा देना है।

बुराई के साथ असहयोग करना उतना ही कर्तव्य है जितना अच्छाई के साथ सहयोग करना।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

विरोध की आवाज दबेगी या राजनीति की दिशा बदलेगी?



जन्तर-मन्तर पर 10 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित प्रदर्शन और उससे पहले दिल्ली में की गई व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ने भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार से असहमति जताने के लिए नागरिकों को पर्याप्त लोकतांत्रिक जगह मिल रही है? चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठे विवाद ने इस सवाल को और गंभीर बना दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के आह्वान

पर प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने और आवाजाही पर पाबंदियों की खबरें सामने आयी हैं। इस घटनाक्रम ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार, कानून-व्यवस्था और चुनावी संस्थाओं की जवाबदेही को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है।

इस घटनाक्रम को केवल किसी एक संगठन के प्रदर्शन या किसी एक राजनीतिक मांग तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। असली सवाल यह है कि लोकतंत्र में विरोध की सीमा कौन तय करेगा, चुनावी संस्थाओं पर उठे सवालों का जवाब किस तरह दिया जाएगा और सरकारें असहमति का सामना संवाद से करेंगी या प्रतिबंधों से? इन सवालों के उत्तर आने वाले समय में देश की राजनीतिक दिशा और संस्थाओं पर जनता के भरोसे को प्रभावित कर सकते हैं।

इस विवाद के बीच सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया विशेष महत्व रखती है। 9 अक्टूबर को न्यायालय ने जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के लिए बेहतर सुविधाओं वाले वैकल्पिक स्थल की संभावना तलाशने की बात कही। उन्होंने ऐसे स्थान की जरूरत पर जोर दिया, जहां प्रदर्शनकारियों को शौचालय, पेयजल और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें तथा आम नागरिकों की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित न हों।

11 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शन रोकने के लिए दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों और लोगों को हिरासत में लिए जाने से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल निगम से जवाब मांगा। न्यायपालिका की इस प्रतिक्रिया का संदेश यह है कि विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर हर विरोध को रोक देना उचित व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर आम नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(ख) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य संवैधानिक आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन प्रतिबंध उचित होने और विरोध को असंभव बना देने के बीच बड़ा अंतर है। यदि किसी स्थान पर प्रदर्शन से यातायात, सुरक्षा या स्थानीय लोगों को परेशानी होने की आशंका है, तो प्रशासन वैकल्पिक स्थल, सीमित संख्या, निर्धारित समय और अन्य शर्तों पर विचार कर सकता है। सवाल तब उठता है, जब एक स्थान पर अनुमति नहीं दी जाती और दूसरा प्रभावी विकल्प भी उपलब्ध नहीं कराया जाता।

जन्तर-मन्तर संसद और केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के निकट होने के कारण दशकों से किसानों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लिए विरोध दर्ज कराने का प्रमुख स्थल रहा है। यहां उठने वाली आवाज का उद्देश्य सत्ता और जनता के बीच जवाबदेही का एक सार्वजनिक माध्यम बनना भी है। यदि प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान तक पहुंचना ही कठिन बना दिया जाए, तो नागरिकों के अधिकार का व्यावहारिक अर्थ कमजोर पड़ जाता है।

इस प्रदर्शन की राजनीतिक पृष्ठभूमि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़ी है। प्रदर्शनकारियों ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। चुनाव आयोग पर लगे इन आरोपों का पारदर्शी जवाब आना जरूरी है। सत्तारूढ़ भाजपा और केंद्र सरकार यदि हर विरोध को राजनीतिक षडयंत्र बताकर खारिज करती है, तो इससे असंतोष समाप्त होने के बजाये और व्यापक हो सकता है।

आज चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता राष्ट्रीय बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जन्तर-मन्तर की इस घटना के बाद विरोध के अधिकार और प्रशासनिक प्रतिबंधों पर भी बहस तेज हो गयी है। इसमें प्रदर्शन में युवाओं और नागरिक संगठनों की भागीदारी भी बड़ी है। उन्हें लगता है कि सरकारें उनकी शिकायतों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है जिस से इसके बढ़ने की संभावना है। किसी भी प्रदर्शन की ताकत को भीड़ रोककर या हिरासत में लेकर खत्म नहीं किया जा सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पूरी तरह रोकना समाधान नहीं है। यदि यह विवाद केवल आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक धूर्त्वीकरण तक सीमित रहा, तो जनता के मन में संस्थाओं को लेकर अविश्वास और गहराता जायेगा।

कॉरपोरेट ताकत, सत्ता और जनहित की कसौटी



गौतम चौधरी

लोकतंत्र में सत्ता केवल सरकार के हाथ में नहीं होती। आज सूचना, तकनीक और संचार पर नियंत्रण रखने वाली बड़ी निजी कंपनियां भी सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए जब किसी कॉरपोरेट संस्था की भूमिका लोकतंत्र, सुरक्षा या राष्ट्रीय हित से जुड़े किसी संवेदनशील मामले में सामने आती है तो सवाल केवल उस कंपनी का नहीं रह जाता। सवाल यह होता है कि उसकी जवाबदेही किसके प्रति है और उसके निर्णयों की निगरानी कौन करेगा?

इसी संदर्भ में दो अलग-अलग समय के दो मामले ध्यान खींचते हैं। पहला मामला 1997 का है, जब Tata Tea पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ULFA से संपर्क और उसे सहायता देने के आरोप लगे थे। दूसरा वर्तमान का है, जब Tata Consultancy Services यानी TCS की भूमिका को लेकर मतदाता पंजीकरण के Form 6 में किए गए विवादित डिजिटल बदलावों पर सवाल उठ रहे हैं।

दोनों मामलों को एक समान मानना तथ्यात्मक भूल होगी। दोनों की प्रकृति अलग है। फिर भी दोनों घटनाएं एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रश्न जरूर उठाती हैं - क्या संवेदनशील राष्ट्रीय संस्थाओं और प्रक्रियाओं में निजी कंपनियों की भूमिका इतनी पारदर्शी है कि जनता उनके निर्णयों और कार्यप्रणाली पर भरोसा कर सके?

1997 में असम पुलिस ने Tata Tea पर ULFA से जुड़े लोगों के चिकित्सा और होटल खर्च उठाने तथा संगठन को आर्थिक मदद पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। कंपनी ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसके सामने असम में अपने कर्मचारियों तथा चाय बागानों की सुरक्षा की गंभीर चुनौती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत के सामने पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों की ULFA के साथ कथित बातचीत और संगठन को सहायता देने से संबंधित जांच सामग्री रखी।

लेकिन यहां तथ्य और आरोप के बीच अंतर बनाए रखना आवश्यक

है। सुप्रीम कोर्ट ने Tata Tea या उसके अधिकारियों को ULFA को वित्तपोषित करने के अपराध में अंतिम रूप से दोषी नहीं ठहराया। मामला मुख्यतः अग्रिम जमानत और उस समय उपलब्ध जांच सामग्री के कानूनी प्रभाव से संबंधित था। इसलिए 1997 की घटना को आज भी 'Tata ने ULFA को फंड किया था' जैसे अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

फिर भी वह घटना एक महत्वपूर्ण सबक छोड़ गई। जब कोई निजी कंपनी ऐसे क्षेत्र में काम करती है जहां उग्रवाद, सुरक्षा और सार्वजनिक हित एक-दूसरे से टकरा रहे हों, तब उसकी गतिविधियों की पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

अब 2026 में TCS का मामला सामने है। राहुल गांधी ने 1 अक्टूबर को सवाल उठाया कि ऑनलाइन Form 6 में किए गए बदलाव के लिए चुनाव आयोग में किसने TCS को निर्देश दिया, TCS में किसने उसे मंजूरी दी और क्या कंपनी पर कोई दबाव था।

यह आरोप अभी जांच का विषय है। चुनाव आयोग का कहना है कि वैधानिक Form 6 में मूल रूप से संशोधन नहीं किया गया था बल्कि SIR के दौरान उसके साथ एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को स्पष्ट किया कि उसने किसी 'Modified Form 6' को मंजूरी नहीं दी थी और रिकॉर्ड देखकर यह जानना चाहता है कि बदलाव किसने किया। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

यदि किसी संवैधानिक संस्था की डिजिटल प्रणाली में ऐसा बदलाव किया गया जो वैधानिक प्रक्रिया से अलग था तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यदि बदलाव नियमों के अनुरूप था तो उसका पूरा दस्तावेजी आधार सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और यदि TCS ने केवल चुनाव आयोग के अधिकृत निर्देश पर तकनीकी कार्यान्वयन किया है तो उस निर्देश की प्रति, स्वीकृति की प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

लोकतंत्र में तकनीकी काम करने वाली कंपनी को राजनीतिक निर्णय लेने की अनुमति नहीं हो सकती।

यह बात 1997 और 2026 दोनों मामलों को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अंतर इतना है

कि 1997 में सवाल एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के संदर्भ में कंपनी के कथित संपर्क और सहायता का था, जबकि आज सवाल चुनावी प्रक्रिया के डिजिटल संचालन का है। दोनों मामलों में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले जांच और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना आवश्यक है।

इसलिए 'राष्ट्रविरोधी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी सावधानी से होना चाहिए। किसी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाना और उसका राष्ट्रविरोधी गतिविधि में दोषी सिद्ध होना दो अलग बातें हैं। लोकतंत्र में राष्ट्रहित की रक्षा का सबसे मजबूत तरीका आरोपों को दबाना नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराना है।

आज असली सवाल TCS या Tata समूह का अकेला सवाल नहीं है। यह सवाल उस पूरे दौर का है जिसमें राज्य की संवेदनशील व्यवस्थाएं तेजी से निजी तकनीकी कंपनियों पर निर्भर हो रही हैं।

मतदाता सूची, डिजिटल पहचान, बैंकिंग, संचार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रशासन - हर जगह निजी तकनीक की भूमिका बढ़ रही है। यह आधुनिक शासन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है।

जिस संस्था के हाथ में जनता का डेटा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तकनीकी कुंजी हो, उसकी जवाबदेही सामान्य ठेकेदार से कहीं अधिक होनी चाहिए।

जनता को यह जानने का अधिकार है कि किसने आदेश दिया, किसने अनुमति दी, किसने तकनीकी बदलाव किया और किस स्तर पर उसकी निगरानी हुई।

1997 का विवाद हमें बताता है कि कॉरपोरेट और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच अस्पष्ट संबंध कितने गंभीर सवाल खड़े कर सकते हैं। 2026 का Form 6 विवाद यह याद दिलाता है कि डिजिटल लोकतंत्र में अस्पष्टता की कीमत और भी बड़ी हो सकती है।

इसलिए मुद्दा किसी एक कंपनी को कठघरे में खड़ा करना नहीं है। मुद्दा यह सुनिश्चित करना है कि कॉरपोरेट शक्ति जनशक्ति के ऊपर न बैठे, तकनीकी क्षमता संवैधानिक अधिकारों से बड़ी न हो और सार्वजनिक व्यवस्था में निजी संस्थाओं की भूमिका हमेशा पारदर्शी, दस्तावेजीकृत और जवाबदेह रहे।

लोकतंत्र में अंतिम मालिक न सरकार है, न कोई राजनीतिक दल और न कोई कॉरपोरेट संस्था। अंतिम मालिक जनता ही है और इसका ख्याल सबको रखना पड़ेगा।

भारत की 'नीली अर्थव्यवस्था': अवसरों की अगली लहर



—डॉ. जितेंद्र सिंह

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

सदियों से, समुद्र ने भारत के व्यापार को आगे बढ़ाया है, इसके तटीय क्षेत्रों की संस्कृतियों को आकार दिया है और इसके रणनीतिक प्रभाव को मजबूत किया है। आज कुल 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा, विशाल समुद्री संसाधनों और हिंद महासागर में एक प्रभावशाली स्थिति के साथ, यह भारत के विकास का एक नया आयाम प्रस्तुत करता है।

अब जबकि यह देश 'विकसित भारत 2047' की दिशा में आगे बढ़ रहा है, 'नीली अर्थव्यवस्था' (ब्लू इकोनॉमी) समृद्धि, स्थिरता और राष्ट्रीय शक्ति के एक सशक्त मार्ग के रूप में उभर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर को भारत के विकास के विज्ञान के केन्द्र में रखा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए अपने भाषण में, उन्होंने 'नीली अर्थव्यवस्था' को उन सात धाराओं या 'सप्त-धारा' में से एक बताया जो देश को आगे ले जाएंगी।

'नीली अर्थव्यवस्था' महज समुद्र से जुड़ी एक अर्थव्यवस्था भर नहीं है, बल्कि यह लोगों, विचारों और संभावनाओं से जुड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका संबंध मछुआरों व तटीय समुदायों के लिए बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने, उद्यमियों व निवेशकों के लिए अवसर सृजित करने, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विज्ञान का सदुपयोग करके जलवायु के अनुकूल तट का निर्माण करने से है। इन सबसे भी ऊपर, यह आर्थिक प्रगति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को साथ-साथ निभाने से जुड़ी है।

इस अवसर के साथ कुछ तात्कालिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं। समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन समुद्री संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहे हैं। ये चुनौतियां नवाचार, टिकाऊ हस्तक्षेप और निवेश के लिए उत्प्रेरक बन सकती हैं। तकनीकी विकास, उद्यमों के सृजन और पूंजी जुटाने के कार्य में तेजी लाकर, भारत अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, उन्नत मत्स्यपालन, महासागर संबंधी डेटा सेवाएं, टिकाऊ पर्यटन एवं गहरे समुद्र से जुड़ी प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों को 'नीली अर्थव्यवस्था' के विकास के शक्तिशाली वाहकों में बदल सकता है।

एक मजबूत 'नीली अर्थव्यवस्था' आय एवं पोषण संबंधी सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से टिकाऊ मत्स्यपालन और जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) में बदलाव ला सकती है। आधुनिक बंदरगाह, नौवहन (शिपिंग) और लॉजिस्टिक्स व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं। अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा भारत में स्वच्छ-ऊर्जा से जुड़े बदलावों में मदद कर सकती है।

समुद्री पर्यटन से जहां स्थानीय स्तर पर उद्यमों एवं रोजगारों का

सृजन हो सकता है, वहीं समुद्री विज्ञान, पूर्वानुमान एवं डिजिटल सेवाएं लोगों की जान, संपत्ति और आजीविका की सुरक्षा कर सकती हैं। ये सभी क्षेत्र मिलकर समुद्री सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ कर सकते हैं।

इसलिए भारत 'नीली अर्थव्यवस्था' को भिन्न-भिन्न योजनाओं के समूह के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की एक समन्वित रणनीति के रूप में देखता है। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि विज्ञान को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो लोगों तथा इस धरती के लिए ठोस मूल्य सृजित कर सकने वाले उद्यमों एवं संस्थानों को बढ़ावा दें। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस बदलाव के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और संस्थागत आधार तैयार कर रहा है।

'डीप ओशन मिशन', समुद्री स्थानिक योजना से संबंधित प्रायोगिक परियोजनाएं, समुद्र पर नजर रखने वाले नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म, पूर्वानुमान लगाने वाली प्रणालियां और उन्नत समुद्री सेवाओं के जरिए, मंत्रालय समुद्र से जुड़ी जानकारीयों को आम लोगों के लाभ में बदल रहा है। गहरे समुद्र में अन्वेषण, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री ऊर्जा और खारे पानी को मीठा बनाने (डिसेलिनेशन) से जुड़े क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताएं संसाधनों की सुरक्षा, नवाचार और आत्मनिर्भरता की राह खोल रही हैं। मत्स्यपालन से जुड़ी सलाह, पूर्व चेतावनी देने वाली सेवाएं और समुद्र तट के प्रबंधन से जुड़े उपाय तटीय इलाकों में लोगों की आजीविका को सहारा देने के साथ-साथ आपदा से निपटने की

तैयारियों को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं।

अगले चरण की पहचान पैमाने, तेजी और प्रभाव से होनी चाहिए। भारत को समुद्री गतिविधियों का एकीकृत प्रबंधन (इंटीग्रेटेड ओशन गवर्नेंस), बेहतर तालमेल, भरोसेमंद परियोजना पाइपलाइन और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने हेतु डिजिटल तकनीक के अधिक उपयोग की जरूरत है। 'नीली अर्थव्यवस्था' में निवेश 2015-2025 के दौरान लगभग 3.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-2035 के दौरान लगभग 25.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान है, जोकि एक ऐतिहासिक अवसर है। इस क्षमता को स्थायी नतीजों में बदलने हेतु नए प्रकार का वित्त पोषण, जिम्मेदार निजी पूंजी, स्टार्टअप की भागीदारी और पारदर्शी कार्यान्वयन जरूरी होगा। इस पूरी यात्रा में तटीय समुदायों का सक्रिय भागीदार और मुख्य लाभार्थी बने रहना जरूरी रहेगा।

सबसे रोमांचक अध्याय भारत के युवाओं से जुड़ा है। हर युवा उद्यमी, निवेशक, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, पेशेवर और कुशल श्रमिक के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था (ओशन इकोनॉमी) अनंत संभावनाएं लेकर आई है। बंदरगाह, नौवहन (शिपिंग), लॉजिस्टिक्स, मत्स्यपालन और पर्यटन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को स्वचालन (ऑटोमेशन), डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्वच्छ ईंधन, विद्युत आधारित आवागमन (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) तथा भरोसेमंद कामकाज के जरिए नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, गहरे समुद्र से जुड़ी प्रौद्योगिकी, जलीय कृषि, मरीन रोबोटिक्स, समुद्र से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रिप पर्यटन (आइलैंड टूरिज्म), विद्युत चालित नाव (इलेक्ट्रिक बोट) और हरित समुद्री प्रणालियां (ग्रीन मैरीटाइम सिस्टम) जैसे उभरते हुए क्षेत्र नए करियर, कारोबार

एवं निवेश के अवसर सृजित कर रहे हैं।

यह भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल को विकसित करने, स्टार्टअप शुरू करने, स्वदेशी तकनीक को विकसित करने, जिम्मेदारी से निवेश करने और अनुसंधानों को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने वाले समाधानों में बदलने का समय है। हमारे विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और तटीय समुदायों को आपस में मिलकर प्रयोग एवं उद्यम के केन्द्र के रूप में सामने आना चाहिए। भारतीय युवा मछली पकड़ने की स्मार्ट प्रणाली, साफ-सुथरे जहाज, सदृढ़ बंदरगाह, समुद्र से जुड़े डेटा प्लेटफॉर्म, जैव-आधारित उत्पाद और ऐसी तकनीकों को डिजाइन कर सकते हैं जो गहरे समुद्र में अन्वेषण करने के साथ-साथ उसके नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा भी कर सकें।

'नीली अर्थव्यवस्था' कोई भविष्य का वादा नहीं है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय मिशन है, जिसके लिए ऐसी पीढ़ी की जरूरत है जो इसे आगे बढ़ाने का हौसला दिखाए। मैं भारत के युवाओं का आह्वान करता हूँ कि वे बदलाव की इस 'नीली लहर' में अपनी कल्पनाशीलता, साहस और नई सोच का योगदान दें। आइए, हम अपने महासागरों को नवाचार की प्रयोगशाला, आजीविका के स्रोत और स्थायी समृद्धि का जरिया बनाएं। हम सब मिलकर एक ऐसी समुद्री अर्थव्यवस्था का निर्माण करें जो उत्पादक होने के साथ-साथ जिम्मेदार भी हो, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर लोगों को सशक्त भी बनाए और 'सप्त-धारा' की भावना के अनुरूप हो। 'विकसित भारत 2047' की दिशा में हमारी यात्रा न केवल जमीन पर, बल्कि उस विशाल नीले समुद्र में भी तय होगी जो इस देश को घेरे हुए है और हमें आपस में जोड़ता है।

दुर्गा स्तुति

जगजननी मां तुझे नमन है,
भवतारिणी मां तुझे नमन।
ब्रह्मस्वरूपिणी तुझे नमन है,
भयहारिणी मां तुझे नमन।

तू ही है परधाम निवासिनी,
मूलाधार निवासिनी तू।
अष्टमातृका योगिनी तू ही,
सकल कष्ट निवारिणी तू।

हे विश्वेश्वरी तुझे नमन है,
हे नारायणी तुझे नमन।
सर्वमंत्रमयी तुझे नमन है,
महातपा मां तुझे नमन।

दश विद्या और नव दुर्गा तू,
सर्व सौभाग्य दायिनी तू।
तू ही शक्ति है, तू ही सौम्या,
मंगला व्याधि विनाशिनी तू।

हे कात्यायनी तुझे नमन है,
हे भवभामिनी तुझे नमन।
तपस्विनी मां तुझे नमन है,
हे शाम्भवी मां तुझे नमन।

तू ही जयंती, तू ही काली,
सर्व शत्रु विनाशिनी तू।
तू ही शिवा है, तू ही धात्री,
चतुर्भुजा परमेश्वरी तू।

हे करुणामयी तुझे नमन है,
स्नेहसुधामयी तुझे नमन।
कृपादृष्टि और दयादृष्टि,
बरसाओ हम करते वंदन !!!

—स्मृति श्रीवास्तव—

तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए खुल रहे समृद्धि के नए द्वार

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। एआई के दौर में युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है और उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के छात्रों, शिक्षण संस्थानों और रोजगार प्रदाताओं को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर तकनीकी शिक्षा विभाग ने 'तकनीकी रोजगार सेतु' पोर्टल शुरू किया है। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना है।

तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल युवाओं और उद्योगों के बीच एक प्रभावी सेतु काम कर रहा है। यह पोर्टल एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जहां छात्र अपनी प्रोफाइल, अपनी कौशल क्षमताओं का प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं प्रमाणपत्रों का विवरण अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर, ऑनलाइन आवेदन तथा अपने प्लेसमेंट की स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं। यह पहल छात्रों को रोजगार के अवसरों और उद्योगों की आवश्यकताओं तक सीधी पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगी। इस पोर्टल पर 164 संस्थान पंजीकृत

हो चुके हैं, जिनमें 136 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 18 पॉलिटेक्निक संस्थान, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 5 फार्मसी कॉलेज शामिल हैं।

इस पोर्टल के माध्यम से नियोजता पात्र उम्मीदवारों की प्रोफाइल देखकर भर्ती प्रक्रिया करेंगे और सफल नियुक्तियों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करवा सकेंगे। यह एकीकृत प्रणाली नियोजताओं और नौकरी के इच्छुक युवाओं के बीच पारदर्शी एवं प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी तथा भर्ती प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करेगी। तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने तथा कुशल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध करवाने के लिए एक विश्वसनीय मंच साबित हो रहा है।

हिम एक्सेस राज्य का सिंगल साइन-ऑन और डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं और एप्लीकेशनों तक पहुंच का एक साझा प्रमाणीकरण तंत्र उपलब्ध करवाता है। हिम एक्सेस इंटीग्रेशन पोर्टल के माध्यम से अब तक 26,168 छात्रों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 23,054 छात्रों की कौशल मैपिंग पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अब तक 97 नियोजता भी इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इस पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर जैसे कुशल श्रमिकों की सेवाएं अल्प अवधि के कार्यों के

लिए भी प्राप्त की जा सकेंगी।

प्रदेश के युवाओं को वैश्विक तकनीकी दक्षता, कौशल विकास और नवाचार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक्सपोजर विजिट आयोजित करवाए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के अंतर्गत प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 30 प्रशिक्षुओं ने कजाकिस्तान के अल्माटी में समाल वाटर बॉटलिंग प्लांट, राखात चॉकलेट फैक्ट्री और ग्रीन मार्केट की कार्य प्रणाली की जानकारी हासिल की। इस दौरान प्रशिक्षु वैश्विक औद्योगिक प्रणालियों, आधुनिक तकनीकों तथा अंतरराष्ट्रीय कार्य संस्कृति से परिचित हुए। एक्सपोजर विजिट के इस क्रम में प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों के बी. टेक. के 44 मेधावियों ने जापान का अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण किया। विद्यार्थी टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जेएएक्स ट्सुकुबा स्पेस सेंटर, साइबरड्राइन रोबोटिक्स स्टूडियो, जेएएल एयरोस्पेस फैक्ट्री, क्योसेरा फैक्ट्री तथा ओसाका स्थित विभिन्न उद्योगों में उपयोग में आने वाली तकनीकों से रू-ब-रू हुए।

इस शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, एयरोस्पेस, उन्नत विनिर्माण, नवाचार और आधुनिक परिवहन प्रणालियों का ज्ञान अर्जित किया। इस एक्सपोजर विजिट ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा दिया और इस प्रकार के वैश्विक शैक्षणिक भ्रमण राज्य सरकार की मेधावी युवाओं को वैश्विक अनुभव प्रदान करने, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने

तथा नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहे हैं।

प्रदेश सरकार तकनीकी रूप से सक्षम कार्यबल तैयार करने के साथ-साथ डिजिटल आधारभूत अधोसंरचना को भी मजबूत कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और आईटीआई संस्थानों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है ताकि प्रशिक्षुओं को नवाचार के नए अवसर प्रदान किए जाएं। इस क्रम में राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के लिए 35.34 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश तकनीकी दक्षता के साथ निरन्तर आगे बढ़ रहा है। विद्यार्थियों को न्यू-एज आधारित व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर उनका कौशल संवर्धन किया जा रहा है। प्रदेश में नवाचारों के लिए एक मजबूत स्टार्ट-अप सिस्टम तैयार करने के साथ-साथ विद्यार्थियों की सॉफ्ट स्किल को भी विकसित किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार तकनीकी क्षेत्र की नई संभावनाओं का उपयोग करने की दिशा में कार्य कर रही है। इन सभी कदमों से हिमाचल देश के उभरते हुए टेक्नोलॉजी हब के रूप में अपनी पहचान कायम कर रहा है।

रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार के बड़े फैसले

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। जल शक्ति विभाग में 4,090 पैरा वर्कर्स की भर्ती को मंजूरी दी गई, जबकि 100 और सरकारी स्कूलों को

निर्णय हुआ है। हालांकि, इन भर्तियों की समयसीमा और चयन प्रक्रिया का पूरा विवरण सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियों के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा।

मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय

है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7.50 लाख रुपये, घरेलू सामान के नुकसान पर एक लाख रुपये, किराये के लिए 5,000 रुपये और छह महीने तक मुफ्त राशन देने का फैसला हुआ है। पशुधन, फसल और षि भूमि के नुकसान के लिए भी सहायता का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत कांगड़ा जिले के दरिणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने, संसाल में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और ऊना के पंजोआ में भी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने को मंजूरी मिली है। चंबा मेडिकल कॉलेज में 60 सीटों वाला सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। चमियाना स्थित अटल चिकित्सा संस्थान में क्रिटिकल केयर मेडिसिन और सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के नए विभाग स्थापित किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने 5 मेगावाट से कम क्षमता वाली 33 लघु जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने को भी मंजूरी दी। सरकार के अनुसार, संबंधित डेवलपर निर्माण कार्य में गंभीरता नहीं दिखा रहे थे। छोटा शिमला चौक के पुनर्विकास और अंडरपास, हमीरपुर में सिटी सेंटर, बड़ी में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल तथा दियोटसिद्ध में आठ मंजिला पार्किंग बनाने के फैसले भी लिए गए।

बैठक में कर्मचारियों के तबादलों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। एम्बुलेंस संपर्क सड़कों के लिए अलग श्रेणी और निर्धारित मानकों को मंजूरी मिली। साथ ही गवाह संरक्षण योजना, पोषण नीति-2026 और सुजानपुर के राज्यस्तरीय होली मेले को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने के फैसले भी किए गए।

सरकार ने एक ही बैठक में भर्ती, मानदेय, राहत और विकास से जुड़े कई फैसले किए हैं। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि इन घोषणाओं को कितनी तेजी से जमीन पर उतारा जाता है और युवाओं, कर्मचारियों, किसानों तथा आम लोगों को इनका लाभ कब मिलना शुरू होता है।

हिमाचल के 17 निजी विश्वविद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा

शिमला/शैल। पड़ोसी राज्यों के विश्वविद्यालयों में हाल ही में हुई घटनाओं के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा मजबूत करने की पहल की है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय शिमला में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की अध्यक्षता में 17 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।

बैठक में विश्वविद्यालय परिसरों, छात्रावासों और प्रवेश व निकास द्वारों की सुरक्षा मजबूत करने पर चर्चा की गई। आगंतुकों की पहचान की जांच, निजी सुरक्षा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और उन्हें नियमित प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर परिसरों का सुरक्षा ऑडिट करेंगे और आपात स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट व्यवस्था तैयार करेंगे।

हर विश्वविद्यालय में एक नोडल सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के संपर्क में रहेगा। किसी घटना के दौरान अफवाहों फैलने से रोकने के लिए विश्वविद्यालयों को अधिकृत प्रवक्ता भी

नामित करना होगा। पुलिस के साइबर क्राइम और मीडिया प्रकोष्ठ के साथ समन्वय रखकर सही जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहे एंटी-चिट्टा जन आंदोलन में विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में नशे की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस तथा विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर काम करेंगे। साइबर सुरक्षा जागरूकता और यातायात स्वयंसेवक योजना को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया गया।

पुलिस महानिदेशक ने विद्यार्थियों और छात्राओं को आपातकालीन सेवा 112 तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपलब्ध 'ट्रैक मी' सुविधा के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल घटना के बाद कारवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं को पहले ही रोकना है।

उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन से किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 112 पर देने की अपील की।

प्राकृतिक खेती और कीट प्रबंधन पर 220 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण

शिमला/शैल। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की ओर से किसानों को प्राकृतिक खेती और टुटा एबोल्यूटा की निगरानी एवं प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 220 से अधिक किसानों ने भाग लिया। जिला ऊना के अंब विकास खंड की ग्राम पंचायत सूरी स्थित अनुसंधान उपकेन्द्र अकरोट में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. जनार्दन सिंह ने की। इसमें लगभग 70 किसानों ने भाग लिया। डॉ. सिंह ने प्राकृतिक खेती की उपयोगिता, प्रमुख सिद्धांतों और संभावनाओं की जानकारी देते हुए किसानों से टिकाऊ एवं पर्यावरण

अनुकूल कृषि तकनीकों अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वैज्ञानिक डॉ. प्रवीण शर्मा और डॉ. सौरभ शर्मा भी उपस्थित रहे।

इससे पूर्व, कृषि विज्ञान केन्द्र हमीरपुर और ऊना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत 'हिमाचल प्रदेश में टुटा एबोल्यूटा की निगरानी एवं जैव-सघन प्रबंधन' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 150 से अधिक किसानों को कीट की निगरानी और प्रबंधन संबंधी जानकारी दी गई।

इन कार्यक्रमों का समन्वय कृषि विज्ञान केन्द्र मंडी के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. पंकज सूद ने किया। कृषि विज्ञान केन्द्र हमीरपुर और ऊना के वैज्ञानिकों एवं समन्वयकों ने भी सहयोग दिया।

डाक विभाग 110 मार्ग पर ड्रेन डिलीवरी सेवा शुरू करेगा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों तक डाक और पार्सल पहुंचाने के लिए डाक विभाग 110 मार्ग पर ड्रेन डिलीवरी सेवा शुरू करेगा। इनमें

की ड्रेन से डिलीवरी कर इस पहल की शुरुआत की गई थी।

30 सितंबर 2026 तक प्रदेश में 2,797 डाकघर कार्यरत थे। इनमें 2,684 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। डाक नेटवर्क में 2,485 विभागीय कर्मचारी और 6,473 ग्रामीण डाक सेवक सेवाएं दे रहे हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में डाक विभाग ने 20.69 लाख डाक वस्तुओं से 12.18 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 50 प्रतिशत अधिक है।

इस दौरान 41,943 नई डाक जीवन बीमा पॉलिसियां जारी की गईं। वहीं, आधार सेवाओं के तहत दो लाख से अधिक नामांकन और अपडेट किए गए।

राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान डाक टिकटों के प्रति जागरूकता, वित्तीय समावेशन, पार्सल सेवाओं और तकनीकी नवाचार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डाक विभाग का लक्ष्य डिजिटल सेवाओं और नई तकनीकों के माध्यम से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना है।



से 36 मार्गों पर यह सेवा शुरू हो चुकी है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने विश्व डाक दिवस पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्रेन से डिलीवरी होने पर समय की बचत के साथ सेवा की विश्वसनीयता भी बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल में 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम 'एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं' है। संजय सिंह ने बताया कि 13 अगस्त को मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधार शाखा डाकघर तक तिरंगे



सीबीएसई से जोड़ने का फैसला हुआ। इन स्कूलों के लिए 3,900 शिक्षक और 900 गैर-शिक्षक पद भरने की भी मंजूरी दी गई है। अब इन फैसलों का असली इम्तिहान भर्ती प्रक्रिया शुरू होने और पदों पर नियुक्तियां होने से होगा।

स्वास्थ्य विभाग में 500 सहायक स्टाफ नर्सों के पद भरे जाएंगे। कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर्स को 320 बैकलॉग पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। लोक निर्माण विभाग में 172 मल्टी टास्क वर्कर, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 30 रेडियोलॉजिस्ट और 13 क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट के पदों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा पशुपालन विभाग में 116, बागवानी विभाग में 45 और वन विभाग में 10 रेंज वन अधिकारियों के पद भरे जाएंगे। सहायक वन रक्षकों के 500 पद भरने का रास्ता भी साफ किया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग में 40 सहायक लेक्चरर और 120 असिस्टेंट क्राफ्ट इस्ट्रक्टर के पद भरने को मंजूरी दी गई है।

सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के बचे हुए मामलों में सीमित सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के पद भी इसी प्रक्रिया से भरने का

10,500 से बढ़ाकर 11,500 रुपये और सहायिकाओं का 5,800 से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने को मंजूरी दी। वन मित्रों का मानदेय भी 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाएगा। विधवाओं, निराश्रित और एकल महिलाओं की आंगनवाड़ी नियुक्तियों के लिए वार्षिक आय सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। शत-प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन एक अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला भी लिया गया।

किसानों और पशुपालकों के लिए दुग्ध प्रोत्साहन राशि तीन से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर करने की मंजूरी दी गई है। सरकारी विभागों को दूध और दुग्ध उत्पाद मिल्कफेड से खरीदने के निर्देश देने का निर्णय हुआ है। सोलन जिले में वर्षा आधारित कृषि और जलवायु अनुकूल खेती से जुड़ी परियोजना के लिए 603 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है। जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को राहत देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम तय करने की योजना भी स्वीकृत हुई है।

आपदा प्रभावित कांगड़ा जिले की बोह घाटी के परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई

शिमला में 108 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मिली रफ्तार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला में 108.16 करोड़ रुपये की तीन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें ऐतिहासिक रिज के सुधार और स्थिरीकरण, पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा

रिज मैदान के धंसने की समस्या को दूर करना और इसे मजबूत बनाना है।

उन्होंने श्री गुरुद्वारा साहिब के पास पुराने बस अड्डे के नजदीक 6.85 करोड़ रुपये से बने पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। इससे स्थानीय लोगों, दुकानदारों



नगर निगम कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक रिज में 66.81 करोड़ रुपये की लागत से किए गए सुधार और स्थिरीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इन कार्यों का उद्देश्य

और परिवहन से जुड़े लोगों को सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में पार्किंग की समस्या कम होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने बालूगंज के पास पशु पड़ाव में 34.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले शिमला नगर

एचपीएमसी को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए कई फैसले

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी) के निदेशक मंडल की 222वीं बैठक राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन

जाएगा। इस योजना पर करीब 1.69 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पराला स्थित एचपीएमसी के खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में एप्पल स्नेप्स संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी



शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निगम के कामकाज, प्रसंस्करण, डिजिटल व्यवस्था और कारोबार बढ़ाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

बैठक में एचपीएमसी के खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीकरण और उन्हें बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इसके तहत उत्पादन क्षमता, उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्यवर्धन बढ़ाने के साथ एचपीएमसी के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को भी मजबूत किया

दी गई। करीब 8.19 करोड़ रुपये की इस परियोजना से सेब का बेहतर उपयोग और प्रसंस्करण किया जा सकेगा। इससे सेब उत्पादकों को नए बाजार और मूल्यवर्धन के अवसर मिलने की उम्मीद है।

निदेशक मंडल ने हिमाचल से बाहर एचपीएमसी के कियोस्क खोलने की नई नीति को भी मंजूरी दी। इसके माध्यम से दूसरे राज्यों में एचपीएमसी के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने

का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में बागवानों से जुड़े रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। वेब पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से किसानों और बागवानों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। इससे रिकॉर्ड रखना आसान होगा और मामलों का निपटारा अधिक पारदर्शी और तेजी से किया जा सकेगा। भविष्य में इससे सीधे लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया भी आसान होगी।

एचपीएमसी की कम उपयोग हो रही संपत्तियों को व्यावसायिक उपयोग में लाने पर भी चर्चा हुई। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के जरिए इन संपत्तियों से अतिरिक्त आय जुटाने की संभावनाएं तलाशने का फैसला लिया गया।

बैठक में एचपीएमसी के उत्पादों को देश के साथ-साथ विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि निगम की सभी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों और बागवानों तक पहुंचाना चाहिए। बैठक में एचपीएमसी को आधुनिक, पारदर्शी और किसान-बागवान केन्द्रित संस्था बनाने पर जोर दिया गया।

जीएसटी परिषद में हिमाचल ने उठाए राजस्व संरक्षण समेत कई मुद्दे

शिमला/शैल। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडप में हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जीएसटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और करदाताओं को राहत देने वाले प्रस्तावों का स्वागत किया।

हिमाचल सरकार ने कहा कि जीएसटी की प्रक्रिया करदाताओं के लिए आसान और सरल होनी चाहिए। पंजीकरण, रिटर्न भरने, रिफंड, आकलन, जांच और अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाने से कारोबारियों और आम करदाताओं को राहत मिलेगी। राज्य ने छोटे करदाताओं को राहत देने वाले प्रस्तावों के साथ रक्षा और सीएसडी कैटीन से जुड़े उपायों का भी स्वागत किया।

बैठक में हिमाचल से जुड़े टोल वसूली के अधिकार की लीज के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। राज्य ने टोल संग्रह व्यवस्था पर प्रस्तावित जीएसटी छूट

बादल फटने की घटनाओं का हो वैज्ञानिक अध्ययन

का स्वागत किया।

हिमाचल सरकार ने कहा कि करदाताओं को सुविधाएं देना जरूरी है, लेकिन इसके साथ कर चोरी और फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक भी बनी रहनी चाहिए। ऐसे प्रस्तावों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, जिनसे जीएसटी की निगरानी कमजोर हो सकती है, फर्जी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है या सरकार के राजस्व को नुकसान हो सकता है।

राज्य ने जीएसटी लागू होने के बाद हुए राजस्व नुकसान की पूरी भरपाई का मुद्दा भी उठाया। हिमाचल ने मांग की कि राज्य के राजस्व में पांच वर्षों तक हर साल 14 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित की जाए। इसके बाद भी राजस्व संरक्षण तब तक जारी रखा जाए, जब तक राज्य का वास्तविक राजस्व पांचवें वर्ष के लिए तय स्तर

तक नहीं पहुंच जाता।

हिमाचल ने पर्वतीय राज्यों की अलग-अलग समस्याओं को देखते हुए उनके लिए एक अलग मंत्रियों के समूह के गठन की मांग भी दोहराई। इसके अलावा राज्य ने दवा उद्योग से जुड़े मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। हिमाचल ने दवाओं में इस्तेमाल होने वाले एपीआई पर जीएसटी दर कम करने की मांग की। राज्य का कहना है कि इससे टैक्स का असंतुलन कम होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के फंसने और रिफंड की समस्या घटेगी तथा देश में एपीआई और दवा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सचिव डॉ. यूनस, आयुक्त डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त रविन्द्र कुमार, संयुक्त आयुक्त कुलभूषण गौतम और परियोजना प्रबंधक नवीन गर्ग मौजूद रहे।

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को अकादमिक क्रेडिट से जोड़ने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना सीयूएचपी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएचपी) ने

शाहपुर परिसर में कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने अपनी माता श्रीमती



पर्यावरण संरक्षण को विद्यार्थियों की पढ़ाई से जोड़ने की नई पहल की है। विश्वविद्यालय ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण को अकादमिक क्रेडिट से जोड़ने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय के अनुसार, ऐसी पहल करने वाला यह देश का पहला विश्वविद्यालय है।

परमेश्वरी देवी की स्मृति में पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इससे प्रेरित होकर विद्यार्थियों ने भी अपनी माताओं के नाम पर पौधे लगाए। कुलपति ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और नियमित देखभाल करना भी जरूरी है। पौधों के संरक्षण में विद्यार्थियों के प्रयासों को अकादमिक मूल्यांकन में शामिल किया

जाएगा और इसके लिए विशेष क्रेडिट दिए जाएंगे।

इस दौरान विश्वविद्यालय ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार 701-800 के समूह में स्थान मिलने की खुशी भी मनाई। कुलपति ने इसे विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए अगला लक्ष्य दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में जगह बनाना बताया। इसके लिए शोध की गुणवत्ता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, नवाचार और उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कुलपति ने घोषणा की कि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर जनवरी 2027 में राष्ट्रीय स्तर की साइंस कांग्रेस आयोजित की जाएगी। इसके बाद अप्रैल 2027 में अंतरराष्ट्रीय साइंस कांग्रेस होगी, जिसमें देश-विदेश के वैज्ञानिक और शोधकर्ता भाग लेंगे।

उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों के आदान-प्रदान, संयुक्त शोध परियोजनाओं, कौशल विकास और उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

एमआईएस के तहत अब तक 13,203 मीट्रिक टन सेब खरीदा: जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में इस सेब सीजन के दौरान मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत अब तक 13,202.666 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता में बताया कि एचपीएमसी और हिमफेड के माध्यम से खरीद की जा रही है। उन्होंने इस वर्ष सेब उत्पादन कम होने के पीछे बेमौसमी बारिश, समय पर बारिश न होना, फूल आने के दौरान ठंड और पर्याप्त चिलिंग ऑवर्स सहित कई कारण बताए।

जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर किसानों-बागवानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को पिछली भाजपा सरकार से एमआईएस के तहत 114 करोड़ रुपये की देनदारी विरासत में मिली थी। उनके अनुसार, इस देनदारी का भुगतान करने के साथ प्रदेश सरकार

अब तक किसानों-बागवानों को 262 करोड़ रुपये से अधिक दे चुकी है।

मंत्री ने बताया कि इस सीजन में अब तक 1 करोड़ 23 लाख 34 हजार 739 सेब पेटियां मंडियों में पहुंची हैं। एमआईएस में पारदर्शिता लाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया ऐप आधारित की गई है और पात्र किसानों-बागवानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 30 बैग से कम वाले 11,285 और 100 बैग से कम वाले 2,827 किसानों-बागवानों को भुगतान किया गया है। वहीं, 100 बैग से अधिक वाले करीब 7,000 किसानों-बागवानों में से 2,000 मामले सत्यापित हुए हैं। शेष मामलों में भूमि रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज मांगे गए हैं। सरकार ने एमआईएस के तहत खरीद दर में भी एक रुपये की बढ़ोतरी की है।

हिमाचल के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण पूरा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना-2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना का काम तय समय में पूरा कर लिया गया है। यह काम 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक किया गया, जबकि 1 से 5 अक्टूबर तक रिकॉर्ड का पुनरीक्षण किया गया।

जनसंख्या गणना का पूरा काम डिजिटल तरीके से मोबाइल एप के माध्यम से किया गया। इस दौरान आधिकारिक रूप से तय 40 सवालों के जरिए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों की जरूरी जानकारी जुटाई गई। इसमें लोगों की संख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, शिक्षा, साक्षरता, पलायन और प्रजनन से जुड़ी जानकारी शामिल है।

दुर्गम इलाकों, कठिन रास्तों और खराब मौसम के बावजूद यह काम तय समय-सीमा में पूरा किया

गया। इसे हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

इस अभियान को सफल बनाने में हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, सचिव (सामान्य प्रशासन), राज्य जनगणना नोडल अधिकारी और जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक के मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बर्फबारी वाले क्षेत्रों के उपायुक्तों, नगर आयुक्तों और सभी संबंधित अधिकारियों ने भी योजना बनाकर इस काम को पूरा करवाया। जनगणना कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की रही। उन्होंने कठिन रास्तों और मौसम की चुनौतियों के बीच घर-घर जाकर लोगों की जानकारी दर्ज की। उनकी मेहनत और जिम्मेदारी के कारण यह बड़ा काम समय पर पूरा हो सका। जनगणना कार्य निदेशालय ने बर्फबारी वाले क्षेत्रों के सभी लोगों का भी आभार जताया।

आईआईआईटी ऊना में यलगार 2026 का आगाज

शिमला/शैल। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) ऊना में वार्षिक खेल उत्सव यलगार 2026 का शुभारंभ हो गया है। 8 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव में 500 से अधिक विद्यार्थी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे।

खेल अनुशासन, सहयोग और टीम भावना विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रतियोगिताओं में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी विभागों की टीमों भाग ले रही हैं।

उत्सव के दौरान क्रिकेट,



उद्घाटन समारोह में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी विशाल भारद्वाज उपस्थित रहे। वह 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। समारोह में दीप प्रज्वलन, खेल मशाल का अनावरण और तीनों टीमों का मार्च पास्ट आयोजित किया गया।

संस्थान के निदेशक प्रो. मनीष गौर ने विद्यार्थियों के जीवन में खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि

फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स और पावरलिफ्टिंग सहित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी।

इस आयोजन का संचालन संस्थान के स्पोर्ट्स क्लब ‘जेनिथ’ द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. अंकर कुमार और डॉ. विवेक कुमार सिंह कर रहे हैं। उत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है।

हिमाचल में नड्डा की सक्रियता के सियासी मायने क्या?

शिमला/शैल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर विकास



परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और केंद्रीय धनराशि का पूरा उपयोग नहीं करने के आरोप लगाए हैं। कुल्लू जिले के पतलीकूहल में आयोजित जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में नड्डा ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को निशाने पर लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर हिमाचल की अनदेखी के आरोप लगाने के बजाय राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि स्वीकृत परियोजनाएं समय पर पूरी क्यों नहीं हो रही हैं।

नड्डा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को कुशासन, कुप्रबंधन और अव्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि विकास के लिए संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद योजनाओं की रफ्तार धीमी है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, ऊना बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और रेल परियोजनाओं का हवाला देते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं का उल्लेख करते हुए नड्डा ने दावा किया कि करीब 360 करोड़ रुपये की सहायता के बावजूद प्रदेश में प्रस्तावित 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉक में से केवल एक का निर्माण पूरा हुआ है। उन्होंने 12 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में से केवल एक के पूरा होने और 73 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में से किसी के भी संचालित नहीं होने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, इन परियोजनाओं में देरी से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर असर पड़ रहा है।

ऊना बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी नड्डा ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए केंद्र ने एक हजार करोड़

रुपये की सहायता का प्रावधान किया है और 225 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार अब तक लगभग 12 करोड़ रुपये ही खर्च कर पायी है।

उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास के अवसर पैदा कर सकती हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन में देरी का जवाब सरकार को देना चाहिए। नड्डा ने 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराए गए 521 करोड़ रुपये में से लगभग 52 प्रतिशत राशि के उपयोग का भी दावा किया। उन्होंने एम्स बिलासपुर, चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जायका समर्थित स्वास्थ्य परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र की ओर से संसाधन उपलब्ध कराने के बाद राज्य सरकार को निर्माण

प्रतिभा सिंह के चुनाव आयोग को लिखे पत्र

पर ही किया जा सकता है। इसी सब के परिणाम स्वरूप स्थानीय निकायों से लेकर नगर निगम और जिला परिषदों के चुनावों के नतीजों को सरकार के प्रति जन-असंतोष का स्पष्ट प्रमाण भी माना जा सकता है।

अब विवाद का नया पहलू वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी में 'वीर कांग्रेस' और 'वीरभद्र राष्ट्रीय कांग्रेस' जैसे नामों का उल्लेख होने के बाद इन संभावित नामों पर चर्चा शुरू हुई। इस टिप्पणी से किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण या गठन की पुष्टि नहीं होती। यह जानने के लिए कि कोई औपचारिक पहल हुई है या नहीं, निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड और संबंधित लोगों के आधिकारिक बयानों की जरूरत होगी।

और संचालन की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभानी चाहिए।

रेल परियोजनाओं पर उन्होंने भानुपल्ली - बिलासपुर - बैरी रेललाइन का जिक्र किया और भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे की प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से ही परियोजनाओं को गति मिल सकती है।

राजनीतिक मोर्चे पर नड्डा ने स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत को कांग्रेस सरकार के प्रति जनता के असंतोष का संकेत बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया।

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। नड्डा का कुल्लू के पतलीकूहल में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सुक्खू सरकार पर हमला इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। इस दौरान का राजनीतिक अर्थ केवल कांग्रेस सरकार की घेराबंदी तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या नड्डा हिमाचल में 2027 के चुनाव के लिए भाजपा की जमीन मजबूत करने के साथ अपने राजनीतिक प्रभाव को भी नए सिरे से स्थापित

करने की कोशिश कर रहे हैं?

नड्डा हिमाचल से संबंध रखते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में उनकी सक्रियता को सामान्य संगठनात्मक कार्यक्रम मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, उनके दौरे को निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं है। इतना जरूर है कि हिमाचल में भाजपा की वापसी की रणनीति तैयार करने में राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और नड्डा का सदेश पार्टी के भीतर और बाहर, दोनों जगह

क्या न्यायिक फैसलों पर

.....पृष्ठ 1 का शेष

चुनौती देने के बाद अब फैसले को लागू करने की तैयारी कितनी है। सरकार के लिए जरूरी है कि वह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय वास्तविक आंकड़े सामने रखे। कुल कितने कर्मचारी प्रभावित हैं, अनुमानित वित्तीय देनदारी कितनी है, कितने मामलों का निपटारा हो चुका है और कितने अभी लंबित हैं इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए। मुख्यमंत्री की वित्तीय संकट की दलील इसमें ज्यादा कारगर साबित नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने विधि विश्वविद्यालय के मंच से न्याय के महत्व की बात की। अब कर्मचारियों के मामले में सरकार को उसी न्यायिक

राजनीतिक मायने रखता है। हिमाचल में पार्टी के कई नेता मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं और संगठन में अपनी भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहते हैं। ऐसे माहौल में राष्ट्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं की सक्रियता का असर प्रदेश भाजपा के शक्ति-संतुलन पर भी पड़ सकता है। नड्डा का दौरा पार्टी को एक साझा चुनावी मुद्दे पर एकजुट करने का प्रयास हो सकता है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसके पीछे प्रदेश की किसी खास नेतृत्व व्यवस्था को तय करने का उद्देश्य है।

व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी है। चार महीने की समयसीमा में लाभ देने की चुनौती केवल खजाने का हिसाब लगाने तक सीमित नहीं है। यह सरकार की कानूनी समझ, प्रशासनिक तैयारी और कर्मचारियों के प्रति जवाबदेही की भी परीक्षा है।

अब सवाल साफ है कि सरकार अदालत में दिए भरोसे को तय समय में पूरा करेगी या कर्मचारी एक बार फिर तारीखों और आश्वासनों के बीच उलझे रहेंगे? इसका जवाब भाषणों से नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों पर समयबद्ध कारवाई और कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिलने से मिलेगा।

कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट नेताओं की दबाव बनाने की रणनीति है या वास्तव में एक अलग राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की तैयारी चल रही है? अभी उपलब्ध दावों के आधार पर इनमें से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन विवाद ने कांग्रेस के सामने गंभीर राजनीतिक चुनौती जरूर खड़ी कर दी है।

वीरभद्र सिंह छः बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान अब भी बना हुआ है। उनके समर्थक आज भी विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद हैं। यह उनका राजनीतिक इतिहास है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि उनके नाम पर कोई नया दल बनता है, तो वह कांग्रेस के कुछ समर्थकों को आकर्षित करने

की कोशिश कर सकता है। लेकिन यह कहना कि ऐसे दल को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा या कांग्रेस को चुनाव में निश्चित नुकसान होगा, अभी अटकल होगी। किसी नए मंच की ताकत उसके नेतृत्व, संगठन, उम्मीदवारों और मतदाताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी।

राजनीतिक सवाल अब यह है कि क्या 'वीर कांग्रेस' और 'वीरभद्र राष्ट्रीय कांग्रेस' की चर्चा किसी औपचारिक पहल में बदलती है या बयानबाजी तक सीमित रहती है। इसका जवाब संबंधित पक्षों की आधिकारिक घोषणा, निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम से मिलेगा। तब तक कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों और नई पार्टी की संभावना को अलग-अलग तथ्यों और अनुमानों के रूप में देखना ही उचित होगा।